न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 19/2019

1– हुक्मसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी गुढासाल्ट तहसील नावां जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार नावां तहसील नावां जिला नागौर राज0।

2–हल्का पटवारी, पटवार हल्का गुढासाल्ट, तहसील नावां जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री तेलपाल राठी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, नावां मुकदमा नं0 46/18 बअनुवान सरकार जरिये प0ह0 गुढासाल्ट बनाम हुक्मसिंह निर्णय दिनांक 31.01.2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक : 09.03.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण सं0 33/2018 बअनुवान पटवारी हल्का गुढासाल्ट बनाम हुक्मसिंह में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गुढासाल्ट ने अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नावां को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम गुढासाल्ट के खसरा नम्बर 423 रकबा 0.0183 हैक्टेयर किस्म बा.3 की भूमि को बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमियों को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा गुढासाल्ट के खसरा नम्बर 423 रकबा 0.0183 हैक्टेयर किस्म बा.3 की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा गुढासाल्ट के खसरा नम्बर 423 रकबा 0.0183 हैक्टेयर किस्म बा.3 से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं संवत 2075 की वार्षिक लगान दर 0.07 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये कायम किया गया व पटवारी हल्का को अपीलान्ट के विरूद्ध जुर्माना वसूली हेतु एवं भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट/अप्रार्थीगण का जवाब में उनके द्वारा यह कथन किया है कि मौजा गुढासाल्ट तह0 नावां जिला नागौर राजस्थान की सरहद में स्थित खसरा नं0 437 जिसके पुराना खसरा नं0 125 मिन, 126 मिन व 130 मिन की भूमि खातेदार गुमानसिंह, उम्मेदसिंह, गणपतसिंह, भंवरसिंह व मनोहरसिंह के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त खातेदारी भूमि में से खातेदार गणपतसिंह पुत्र आटुसिंह खसरा नं0 437 में चारों तरफ आबादी बसी होने के कारण मकान, बाड़ा आदि बनाने के लिए प्रार्थी हुक्मसिंह पुत्र रामसिंह निवासी गुढासाल्ट को दिनांक 19.8.1992 में जरिये बख्शीस 5/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिख कर 1300 गज जमीन बख्शीस की थी। बख्शीस करने की दिनांक से ही खसरा नं0 437 में हुक्मसिंह व उसका परिवार उक्त भूमि को निजी उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड में हुक्मसिंह अपने पशु इत्यादि बांधता हैं। घरेलु काम में लेता चला आ रहा है तथा घरेलु सामान इत्यादि उक्त भूखण्ड में खाद आदि डाल रखे है। हुक्मसिंह व उसका परिवार का लगातार एवं निर्वाध रूप से करीबन 26 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ने साथ यह भी स्पष्ट किया है कि उसने उक्त मुतनाजा भूमि एवं बक्शीस सुदा भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

का अज्ञानता एवं भूलवंश आबादी में परिवर्तन नहीं कराया जा सका है जबकी मौके पर उक्त भूमि आबादी में काम में आ रही है।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 1.04.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 01.04.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। । अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2021/320 दिनांक 08.06.2019 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)–यह है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2019 पूर्णतया अवैध विधिविरूद्ध एवं बिना विधिक प्रकिया अपनाऐं पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य हैं

{3}(2) –यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किए बिना आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि यह है कि विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में 2015 में हल्का पटवारी ने अतिक्रमण बाबत अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट तहसीलदार नावां के संबंध में पेश की। जिसके प्रकरण सं0 72/15 है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार नावां द्वारा दिनांक 24.3.2017 की अपीलान्ट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी नहीं मानते हुवे अतिक्रमण की कार्यवाही ड्रोप कर दी। तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध हल्का पटवारी ने सक्षम न्यायालय में किसी प्रकार की कोई अपील आज दिन तक पेश नही की । इस प्रकार विवादित भूमि के संबंध तहसीलदार नावां द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.3.2017 अंतिम हो चुका है। इसके बावजूद भी हल्का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पटवारी ने उसकी भूमि में संबंध में पुनः एक रिपोर्ट दिनांक 07.05.2018 को नायब तहसीलदार नावां के समक्ष पेश कर दी । जिसका हल्का पटवारी को किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नहीं था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध व विधि विरूद्ध ढंग से कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर विवदित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं होते हुवे भी 100 रूपये का जो जुर्माना आरोपित करते हुवे आदेश जैर अपील पारित किया है। वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है अपीलान्ट का प्रारम्भ से ही कब्जा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा सं0 437 में रहा है। खसरा नं0 423 में अपीलान्ट का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा । जिसके संबंध में पूर्व में सक्षम न्यायालय तहसीलदार नांवा द्वारा अंतिम रूप से आदेश पारित किया जाकर अपीलान्ट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी नहीं माना है। इस प्रकार तहसीलदार नावां को अपीलान्ट के विरूद्ध उसी भूमि बाबत दोबारा आदेश पारित करने का विधिक अधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध व विधि विरूद्ध ढंग से जो आदेश जैर अपील पारित किया है वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

{3}(5) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण हल्का पटवारी की जॉच रिपोर्ट हेतु करीब 5 महीने पत्रावली विचाराधीन रही एवं जिस दिन दिनांक 30.01.2019 को हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिए उनकी गैर मौजूदगी में आदेश जैर अपील पारित कर दिया। इस कारण भी आदेश जैर अपील काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

{3}(6) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी की जो मौका रिपोर्ट दिनांक 25.01.2019 पेश हुई। उसमें मौके पर विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण अपीलान्ट का नहीं माना गया है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अतिक्रमण के ही अपीलान्ट के विरूद्ध 100/– रूपये जुर्माना कायम किए जाने का जो आदेश जैर अपील पारित किया है वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(7) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से दिनांक 4.7.2018 को विस्तृत जवाब पेश किया गया जिसमें सभी तथ्यों का पूर्ण खुलासा किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करते समय अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों का किसी प्रकार से खण्डन किए वगैर एवं जवाब में वर्णित तथ्यों को नहीं माने जाने का कोई कारण अंकित किए वगैर आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अन्त निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमावें।

{4} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 33/2018 पटवारी हल्का गुढासाल्ट द्वारा दिनांक 27.042018 को तैयार रिपोर्ट पटवारी के आधार पर दर्ज किया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा सम्वत 2075 में ग्राम गुढासाल्ट के खसरा नम्बर 423 कुल रकबा 1.04 हैक्टयर किस्म बा.3 में से 0.0183 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया गया है। पटवारी हल्का गुढासाल्ट की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक लुणवा द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम गुढासाल्ट, के खसरा नम्बर 423 रकबा 0.0183 हैक्टेयर किस्म बा.3 को बाड़ा बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थीगण/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी का नोटिस तामील होकर अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुआ। दिनांक 04.07.2018 को अपीलान्ट/अप्रार्थीगण स्वमं मय अधिवक्ता के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुवे, तथा जवाब पेश किया, जो पत्रावली पर उनके हस्ताक्षर से साबित है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पूर्णरूप सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया है तथा अपीलान्ट उक्त प्रश्नगत भूमि को बिना आबादी करवाये ही विधि विरूद्ध तरिके से परिवार सहित बाड़े का पशु बांधने व घरेलु उपयोग के काम में लेता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत जवाब दस्तावेज का पटवारी हल्का से जांच करवा कर तथा वकील अप्रार्थी की बहस जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया जाकर आदेश पारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

किया है। दौरानें प्रकरण के जैरकार रहते हुए पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.01.2019 अनुसारउक्त खसरे से अतिक्रमण हटाया हुआ पाया गया है। इससे सिद्ध होता है कि अपीलार्थी ने सम्वत 2075 में ख0नं0 423 की 0.0183 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया था एवं बाद में हटा लिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

:::: **आदेश** ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31.01.2019 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)